(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/3127 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–8–17 पारित द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर जिला नीमच प्रकरण कमांक 22/अपील/2016–17.

मोहम्मद हुसैन पिता नजरूद्दीन
निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील जीरन
जिला नीमच .....आवेदक

विरूद्ध

1–साबीर हुसैन पिता सुभान खॉ
निवासी ग्राम चीताखेड़ा तहसील जीरन
जिला नीमच
2–मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त कलेक्टर जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–8–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक की ओर से दिनांक 22–7–2011 को तहसीलदार जीरन को एक शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम चीताखेड़ा की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 203 पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण कार्य बिना पंचायत की अनुमति के किया जा रहा है तथा उक्त भूमि से 12X30 फीट का एक भूखण्ड 150000/– में विक्रय कर दिया गया है । तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र की जॉच की जाकर आवेदक एवं अनावेदक को सूचना पत्र जारी किये गये । अनावेदक साबीर द्वारा कथन में मौके पर उसका अतिक्रमण होना स्वीकार किया गया । अनावेदक की उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–12–11 को अनावेदक के विरूद्ध 100/– अर्थदण्ड

आरोपित किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया, परन्तु मौके पर अनावेदक द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया । इस आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–2–2017 को आदेश पारित अनावेदक साबीर हुसैन को दूसरी या पश्चात्वर्ती बेदखली की दशा में 06 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त कलेक्टर के अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दिनांक 4–8–2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 27–2–17 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक को पुनःसुनवाई का अवसर देते हुये उसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को भली–भांति अवलोकन एवं अध्ययन कर प्रश्नाधीन आबादी भूमि का स्थल निरीक्षण करके अनावेदक का इस भूमि पर काबिज होने की स्थिति का स्पष्ट आंकलन करते हुये गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये । अतिरिक्त कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की गई है। यह भी बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 203/1 के कुछ भाग पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवैध अतिक्रमण कर उस पर मकान पंक्चर की दुकान आटाचक्की एवं शौचालय का अवैध निर्माण कर लिये गये हैं जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा तहसील के समक्ष करने में उनके द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने के आदेश देने में वैधानिक कार्यवाही की गई थी परन्तु आवेदक द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सिविल जेल की कार्यवाही करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई थी। अनावेदक द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर नीमच के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अवैधानिक रूप से आंशिक स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने में भूल की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में शासन को राजस्व की हानि पहुँचाई गई है क्योंकि तहसीलदार द्वारा 20 रुपये प्रतिदिन के मान से जुर्माना लगाया गया था, जो लगभग 40,000/– तक पहुँच गया । उनके द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है मूल विवाद ग्राम चीताखेडा की आबादी भूमि सर्वे कमांक 203/1/1 पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा किये गये निर्माण के कारण है और अनावेदक कमांक 1 एक की तरह अन्य कई परिवार भी वैध/अवैध तरीके से इस सर्वे नम्बर में रहते होंगे । इसलिये प्रकरण पुनः स्थल निरीक्षण एवं विस्तृत जॉच के लिये अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने में अपर कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, वैसे भी दोबारा जॉच होने से आवेदक जो मात्र शिकायतकर्ता है, उसे क्या आपत्ति है, यह स्पष्ट नहीं कर पाया है इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त कलेक्टर जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–8–17 के स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर